निबंधन संख्या - 927/08-09 TeleFAX - 0651-2251008, 2250642

विद्या विकास समिति, झारखण्ड

(विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध)
शुक्ला कॉलोनी, हिनू, पत्रा०-डोरण्डा, राँची - 834002
E-mail - vidyavikas1@dataone.in, vvs.jharkhand@yahoo.com Web - http://vidyavikassamiti.org

पत्रांक : VVS/ 3067/17-18 दिनांक : 5/10/17

प्रतिष्ठा में,

सचिव/प्रधानाचार्य,
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर, श्रीकृष्ण चंद्र गाँधी शैक्षिक नगर,
कुदलुम, बालालौंग, नगड़ी, राँची-834004

विषय :- विद्यालय संबद्धता पत्र।

महाशय,

आपके पत्रांक-03/2017-18 दिनांक-18.04.2017 प्राप्त हुआ। पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि आपका विद्यालय संबद्ध है। संबद्धता निम्नलिखित शर्तों के आधार दिया गया है।

1. विद्यालय का नाम निम्नलिखित होगा - जिसका उल्लेख पत्राचार एवं पट्ट आदि में होगा।
   आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर, श्रीकृष्ण चंद्र गाँधी शैक्षिक नगर, कुदलुम, बालालौंग, नगड़ी, राँची-834004
   संबद्ध - विद्या विकास समिति, झारखण्ड, शुक्ला कॉलोनी, हिनू, राँची
   निबंधन संख्या-927/08-09, प्रतीक चिह्न -
2. प्रदेश द्वारा प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी।
3. आचार्य भी स्नातक प्रशिक्षित हो यही अपेक्षा है।
4. आचार्य नियुक्ति "आचार्य नियमावली" के आधार पर होगी।
5. आचार्य एवं कर्मचारी को स्थानीय स्तर पर स्वीकृत सुविधाएँ ही देय होगी।
6. स्थानीय समिति का गठन प्रांत द्वारा प्रतिनियुक्त किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही होगा।
7. विद्यालय व्यवस्था समिति में प्रदेश द्वारा चयनित न्यूनतम दो सदस्य रहेंगे एवं व्यवस्था समिति प्रांतीय समिति के वैधानिक मान्यता के अनुसार कार्य करेगी।
8. विद्यालय व्यवस्था समिति से अपेक्षा है कि विद्यालय की मान्यता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली या झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची (झारखण्ड) से हो।
9. समय-समय पर प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में विद्यालय के प्रधानाचार्य, आचार्य/महिला आचार्य एवं भैया/बहनों को भाग लेना अपेक्षित है।
10. परीक्षा संचालन एवं पत्रिका का प्रकाशन प्रदेश के माध्यम से होगा।
11. प्रधानाचार्य, आचार्य/महिला आचार्य एवं भैया/बहनों का वेश तथा प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम एवं पुस्तक प्रदेश द्वारा निर्धारित ही लागू होगा।
12. प्रति शिशु प्रति वर्ष मासिक शुल्क के बराबर प्रांतीय निधि प्रदेश को देय होगा।
13. प्रदेश के निरीक्षक के निरीक्षण वृत्त के आधार पर एवं प्रांतीय निर्देशानुसार विद्यालय व्यवस्था में संशोधन एवं परिवर्तन आवश्यक होगा।
14. विद्यालय व्यवस्था में कोई नवीन योजना क्रियान्वयन करने के पूर्व प्रदेश से परामर्श लेना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तों में प्रदेश द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन एवं परिमार्जन संभव है। जिसकी सूचना आपको दी जाएगी।

भवदीय
5.10.2017
(मुकेश नंदन)
प्रदेश सचिव
विद्या विकास समिति, झारखण्ड

प्रधानाचार्य
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गाँधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालौंग, नगड़ी, राँची-834004

सचिव
आदित्य प्रकाश जालान सरस्वती विद्या मंदिर
श्रीकृष्ण चन्द्र गाँधी शैक्षिक नगर
कुदलुम, बालालौंग, नगड़ी, राँची-834004

दाखिल करने का प्रमाण-पत्र

निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 28/7/2016

VIDYA VIKAS SAMITI, JHARKHAND

(निबंधन संख्या— 927/2008-2009)

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के प्रावधानों के अनुसार आज निम्नलिखित [illegible] दाखिल किया गया है :—

(1) स्मृति पत्र में संशोधन ☐

(2) नियमावली में संशोधन ☑

(3) कार्यकारिणी सूची में संशोधन ☑

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में VIDYA VIKAS SAMITI, JHARKHAND, H.NL.17, MSIN TOSF DHUKLS VOLONY, HINOO, DORANDA, RANCHI, JHARKHAND

संस्था के आवेदन संख्या 6270 दिनांक 21/07/2016 के आलोक में दिनांक 28/7/2016 को संशोधन अभिलिखित किया गया।

वास्ते निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

[illegible]

CERTIFIED COPY valid only with non-judicial stamp of Rs. 3.15